छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत मण्डल मुख्यालय परिसर,

डंगनिया, रायपुर

Designed & Printed by : VAIBHAV SUPPLIERS & GRAPHICS, Mo. : 9893658660

नए विद्युत कनेक्शन लेने, विद्यमान विद्युत कनेक्शन में भार/टेरिफ/नाम परिवर्तन हेतु “ऑन लाईन" आवेदन की प्रक्रिया

अ. नए विद्युत कनेक्शन हेतु :–

- आवेदक वितरण कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर उपलब्ध “Online New Connection" लिंक की सहायता से अपना यूजर–एकाऊंट बनाएँ ।
- निर्मित यूजर एकाऊंट में लॉगीन कर नये विद्युत कनेक्शन का आवेदन “ऑन लाईन" भरें व आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन–कॉपी अपलोड करें ।
- यदि स्कैन कॉपी अपलोड नहीं हो पाती तो आवेदक को 7 दिन के अंदर दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- औद्योगिक श्रेणी हेतु ऑनलाईन आवेदन के 7 दिन के अंदर स्व–सत्यापित दस्तावेज संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- ऑनलाईन आवेदन में उपलब्ध “Submit" बटन क्लिक करें। आवेदक का आवेदन स्वतः संबंधित विद्युत कार्यालय में जमा हो जायेगा और उन्हें संदर्भ हेतु अस्थायी पंजीयन संख्या प्राप्त हो जावेगी ।
- संबंधित विद्युत कार्यालय “ऑन लाईन" आवेदन में भरी जानकारी के सत्यापन के पश्चात् आवेदक को स्थायी “पंजीयन संख्या" (बी.पी.क्रमांक) जारी करेगा।
- सर्वे के आधार पर कार्य का आवश्यक प्राक्कलन स्वीकृत कर प्राक्कलन की राशि हेतु मॉगपत्र आवेदक के स्थायी पंजीयन संख्या (बी.पी.क्रमांक) में दर्ज हो जायेगी। इसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस व ईमेल से भी दी जावेगी ।
- आवेदक मॉगपत्र की राशि का भुगतान कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in (स्थायी पंजीयन संख्या (बी.पी.क्रमांक) के आधार पर)/संबंधित विद्युत कार्यालय के कैश–काऊंटर/क्षेत्र की एटीपी मशीन/पे–प्वाइंट/सीएससी केन्द्र पर कर सकते हैं।
- राशि भुगतान के पश्चात् शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट भार तक का कनेक्शन 3 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट भार तक का कनेक्शन 7 दिन के अंदर प्रदान किया जावेगा।
- यदि आवेदक ने “ऑन लाईन" आवेदन भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड की है, तो मीटर स्थापना के समय आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति संबंधित लाईनमेन को सौंपनी होगी ।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :–

1. घरेलू/बी.पी.एल.प्रयोजन हेतु –

i आवेदन सह अनुबंध पत्र ।

ii किराये के परिसर में कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

iii आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

2. गैर घरेलू प्रयोजन हेतु–

i आवेदन सह अनुबंध पत्र ।

ii किराये के परिसर में कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

iii आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा– आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

iv आवेदक के स्थायी पता संबधी प्रमाण पत्र

3. कृषि / कृषि एलाईड प्रयोजन हेतु–

i आवेदन सह अनुबंध पत्र ।

ii परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज यथा – नवीनतम खसरा ।

iii आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

4. औद्योगिक प्रयोजन हेतु –

i आवेदन सह अनुबंध पत्र (उचित मूल्य का नाम ज्यूडीशियल एडहेसिव स्टांप एवं रेवेन्यु स्टांप चस्पा करना आवश्यक होगा)

ii आवेदक के स्थायी पता संबंधी प्रमाण–पत्र ।

iii आवेदक का पहचान संबंधी फोटोयुक्त परिचय पत्र यथा – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रांयविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटोयुक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

iv परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज ।

v भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख तथा आवेदनकर्ता जो आवेदन पत्रों एवं अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हो, के नाम पर जारी किया गया अधिकार पत्र।

vi सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों के प्रकरण में कंपनी का स्मृति पत्र और एसोसिएशन का अनुच्छेद (मेमेरेन्डम एंड आर्टीकल्स आफ ऐसासिएशन एंड सर्टिफिकेट आफ इन्फारपारेशन) और साथ ही आवेदन पत्र और अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकार पत्र।

vii उद्योग के लिए पर्यावरण अनुमोदन के दायरे में होने की दशा में पर्यावरण संरक्षण विभाग से अनुमति।

viii छोटे एवं मध्यम उद्योग की दशा में लघु उद्योग का पंजीकरण अन्य उद्योगों के लिए औद्योगिक विभाग से पंजीकरण।

ix कनेक्शन प्राप्त करने के पूर्व परिसर में की गई वायरिंग हेतु संबंधित रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल कान्ट्रेक्टर से जारी टेस्ट रिपोर्ट।

5. सार्वजनिक प्रयोजन हेतु–

आवेदन सह अनुबंध पत्र ।

ब. स्वीकृत भार में वृद्धि / कमी हेतु–

i आवेदक वितरण कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर अपने यूजर एकाऊंट से लॉगीन कर विद्यमान कनेक्शन (बी.पी.नंबर) के लिए स्वीकृत भार में वृद्धि / कमी हेतु "ऑन लाईन" आवेदन कर सकते हैं।

ii स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन में उपलब्ध "Submit" बटन क्लिक करें । आवेदन स्वतः संबंधित विद्युत कार्यालय में जमा हो जायेगा ।

iii संबंधित विद्युत कार्यालय "ऑन लाईन" आवेदन में भरी जानकारी के सत्यापन के पश्चात् यदि आवश्यक हो तो प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

iv प्राक्कलन स्वीकृत के पश्चात् प्राक्कलन की राशि आवेदक के स्थायी पंजीयन संख्या में दर्ज हो जायेगी । इसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस व ईमेल से भी दी जावेगी ।

v आवेदक मॉगपत्र की राशि का भुगतान कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in (स्थायी पंजीयन संख्या के आधार पर) / संबंधित विद्युत कार्यालय के कैश–काऊंटर / क्षेत्र की एटीपी मशीन / पे–प्वाइंट / सीएससी केन्द्र पर कर सकते हैं ।

vi राशि भुगतान के पश्चात् विद्युत लाईन के विस्तार का कार्य किया जावेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् स्वीकृत भार में वृद्धि / कमी की कार्यवाही की जावेगी।

vii यदि आवेदक ने "ऑन लाईन" आवेदन भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड की है, तो मीटर स्थापना के समय आवश्यक दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति संबंधित लाईनमेन को सौंपनी होगी ।